दिनांक: 09-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 08 घंटे में किया गया देवीसिंह की हत्या का खुलासा, हत्यारोपी भतीजा गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08-05-2023 की रात्रि में वादी मनोज उर्फ शुभम पुत्र देवीसिंह निवासी चकहरेटी ने थाना जनकपुरी पर आकर सूचना दी कि मेरे चाचा के लडके राहुल ने मेरे पिताजी को चाकू मार दिया है, जिससे मेरे पिताजी की मृत्यु हो गयी है। लिखित तहरीर के आधार पर राहुल के विरूद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 101/23 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 09-05-2023 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मात्र 08 घंटे में देवीसिंह की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी भतीजे **राहुल पुत्र बबली निवासी चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को माहीपुरा तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त राहुल ने पछताछ पर बताया कि मै मजदूरी करता हूँ और नशा करने का आदि हूँ। जो पैसा कमाता हूँ उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेता हूँ। कल रात को मैने शराब पी रखी थी। मेरी, मेरे चाचा देवीसिंह उर्फ पुन्नू पुत्र अमर सिंह निवासी चकहरेटी (उम्र 45 वर्ष) के साथ कहासुनी हो गयी थी, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और नशे की हालत में मैने चाचा के पेट में चाकू मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राहुल पुत्र बबली निवासी चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

❖ 01 आलाकत्ल चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक सनुज यादव, थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. व0उप निरी0 मनोज कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. उप निरी0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
4. का0 1327 सन्दीप कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर
5. का0 2302 गौरव कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर

दिनांक: 09-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा किशोरी के अपहरण में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2023 को वादी श्री सोनू कुमार पुत्र स्वराज सिंह नि0 काकंरकुई थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा थाने पर लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 111/23 धारा 363 भादवि बनाम मोन्टी पुत्र धूम सिंह नि0 ग्राम काकंरकुई थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारपुर पंजीकृत किया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार के सुपुर्द की गयी । विवेचक द्वारा पीडिता को दिनांक 07.05.2023 को बरामद कर मेडिकल परिक्षण व मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 164 द0प्र0सं0 के ब्यान दर्ज कराया गये थे। मैडिकल, ब्यानो व आयु प्रमाण पत्र के आधार पर अभियोग में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.05.2023 को अभियुक्त मोन्टी पुत्र धूम सिंह नि0 ग्राम कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को कांकरकुई अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मोन्टी ने पूछने पर बताया कि मैं व प्राची आपस में दो - तीन साल से प्यार में है तथा हमारे घर भी गांव में पास पास हैं मेरे व प्राची के परिवार के लोग हम दोनो के प्यार से नाराज थे जिस कारम मैं प्राची को 25/26.04.23 की रात्रि को अपने साथ ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मोन्टी पुत्र धूम सिंह नि0 कांकरकुई थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

पुलिस पार्टी का नाम-

1. प्र0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. का0 1927 पारूल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनरपुर

दिनांक: 09-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

सादर अवगत कराना है कि, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.05.2023 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं. 42/2023 धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित चल रहे अभियुक्त **राहुल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को चन्दपुरा बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र ओमपाल उर्फ ओम्मा नि0 ग्राम कुतुबखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

(1) उप0नि0 श्री कंवरपाल सिंह -थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

(2) का0 905 रमन चौधरी थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

दिनांक: 09-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने तथा वादी मुकदमा की पत्नी के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 150/23 धारा 452/323/504/506/354 भादवि में त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी मुकदमा के साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने तथा वादी की पत्नी के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के कारखाने फरमान बस्ती खाताखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा लकड़ी का कारखाना है तथा मेरा तथा शमीम अहमद का किसी बात को लेकर झगडा हो गया था तथा उसे सबक सिखाने के लिए मैं अपने साथियों के साथ उसके घर पर गया था और उसके साथ मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. इमरान पुत्र इरफान निवासी फरमान बस्ती थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सोनू राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 597 मोहसीन खान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. म0कां0 630 रीता थाना मण्डी जनपद सहारनपुर